

क्रमांक

अनुसूचि 14 फारम 462 (देखे अभिलेख हरतक 194 'क' का नियम 129)

ता०.....आदेश पत्रक संख्या.....

केश का प्रकार 15/2015-16

जिला इंदौर सत्र.....स०.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1 2 3

24/4/15

आर्य समाज बैंक लोधासा
 शाखा की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दाखिल किये हैं कि
 निलाम देनदार श्री मोहन मुंडा को
 पिता श्री स्व. जगत मुंडा
 ग्राम करदीराजा पो० लोधासा
 थाना कस के विरुद्ध उपान्त में लिखित बैंक ऋण बाकी है उनके
 विरुद्ध निलाम पत्र वाद दायर कर वसूली किया जाय। बैंक की ओर से कोर्ट की
 राशि का स्टाम्प रु० का दायर किया गया है जो अभिलेख के
 साथ संलग्न है। सपर्युक्त
 तथ्य से मैं सहमत हूँ। निलाम देनदार धारा 7 पी०डी०आर० एक्ट के अन्तर्गत
 नोटिस निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 20/5/15 को प्रस्तुत करें।
 लेखापित एवं सत्यापित

मूल + प्र
 342854-20
 र.फ. - 8440-20
 प.फ. - 252-00
 कुल - 351319-20
 or
 351319-20

Handwritten signature

निलाम पत्र पदाधिकारी
खुंटी।

Handwritten signature

निलाम पत्र पदाधिकारी
खुंटी।

20/5/15

नौरिस का ग्रामिणा अधीन
 निलाम का पदा अन्य कार्य
 में व्यस्त दिनांक 20/6/15
 का है।

20/6/15

नौरिस का ग्रामिणा अधीन
 निलाम का पदा अन्य कार्य में
 व्यस्त दिनांक 20/6/15 का है।

4/7/15

नौरिस का ग्रामिणा अधीन
 अनुपस्थित दिनांक 20/7/15 का है।

7
 6/5/17
 6/6/17
 6/7/17
 5/8/17
 5/9/17
 31/08/20

देवदा अनुपालित
 दिनांक 6/5/17 को बैंक निष्पत्ता
 देवदा अनुपालित
 दिनांक 6/6/17 को बैंक निष्पत्ता
 देवदा अनुपालित
 दिनांक 6/7/17 को बैंक निष्पत्ता
 देवदा अनुपालित
 दिनांक 5/8/17 को बैंक निष्पत्ता
 देवदा अनुपालित
 दिनांक 5/9/17 को बैंक निष्पत्ता
 देवदा अनुपालित
 दिनांक 31/08/20 को बैंक निष्पत्ता

अभिलेख उपस्थित। केंद्र द्वारा
 अतिरिक्त प्रपत्र केंद्र द्वारा अतिरिक्त
 किया गया है कि योहन दुग्गा का दाय
 351319 = 00 (तीन लाख अठान्ना हजार
 तीन सौ अठान्ना रुपये) के लिए ही केंद्र
 द्वारा कर्जा शुरू किया गया नहीं है।
 अतः केंद्र प्रमाण पत्र के आधार
 पर वाद की शरतों का समाप्त किया
 जाया है साथ ही प्रभारी सहस्र निदेशक
 को सहित (X) में दर्ज अतिरिक्त प्रमाण
 में जमा रहे।

लेखापति प्रि सत्यापित



निलाम प्रशासिकाधीनारी सह

अनुमण्डल प्रशासिकाधीनारी सह



निलाम प्रशासिकाधीनारी सह

अनुमण्डल प्रशासिकाधीनारी सह